विदाई उद्गार

श्री सभापति: सदस्यों, चूँकि संसद का मानसून सत्र आज समाप्त हो रहा है, अतः अब इस समय हम यह आकलन करें कि सत्र के दौरान यह महती सभा क्या कर सकी और क्या नहीं। निर्धारित 18 बैठकों में से इस सभा ने गुरू पूर्णिमा दिवस के अवसर पर अवकाश पर रहने का निर्णय लिया और इसलिए हमारे पास 17 बैठकें शेष रहीं। एक अन्य दिन तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्व0 डा. एम. करूणानिधि के सम्मान में दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात सभा स्थगित कर दी गयी थी।

पिछले दो सत्रों की स्थिति को देखते हुए इस सत्र के लिए मीडिया का अनुमान था कि भावी चुनाव के मद्देनजर इस सत्र में भी काम नहीं हो सकेगा। मुझे खुशी है और आपको भी खुशी होगी कि मीडिया गलत साबित हुआ है। मैं इसके लिए आप सब को बधाई देता हूँ यद्यपि मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ।

हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए दक्षिण पश्चिमी मानसून बहुत आवश्यक है और कुल मिलाकर अब तक वर्षा में केवल 5 प्रतिशत की कमी के अलावा यह सामान्य रहा है। और संसद का मानसून सत्र भी हमारे संसदीय प्रजातंत्र के सहभागियों को अभिभूत करते हुए पिछले दो सत्रों से अलग हटकर नये उफान पर पहुँच गया है।

73 प्रतिशत से अधिक कार्य करने के साथ, कुल उपलब्ध समय की तुलना में कार्यकरण के समय के रूप में, यह सत्र पिछले बज़ट सत्र, जिसकी उत्पादकता केवल 25 प्रतिशत थी, से लगभग 3 गुना अधिक उत्पादक साबित हुआ है। यह सराहनीय सुधार है और इसका श्रेय आप सबको जाता है। फिर भी मैं पूरी तरह से प्रसन्न नहीं हूँ।

जहाँ तक विधायी कार्य का संबंध है इस महती सभा ने इस सत्र के दौरान कुल 14 विधेयक पारित किये, जबकि पिछले दोनो सत्रों के दौरान कुल 10 विधेयक पारित किये जा सके थे। इसका अर्थ यह है कि इस सत्र के दौरान विधायी निष्पादन पिछले दोनों सत्रों की तुलना में 140 प्रतिशत रहा है। फिर भी मैं प्रसन्न नहीं हूँ।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों ने कई मुद्दों का सामूहिक रूप से समाधान किया जिसके दूरगामी निहितार्थ हैं। इसमें न्यायिक हस्तक्षेपों का समाधान करके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रति अत्याचार निवारण के संबंध में मौलिक सांविधिक स्थिति बहाल करना और पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करके सामाजिक न्याय को उच्च पायदान पर रखा जाना शामिल है। मैं सभा के सभी सदस्यों को इन दो ऐतिहासिक विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित करने के लिए बधाई देता हूँ। यदि हमने इन्हें पहले ही पारित कर दिया होता तो मुझे और अधिक खुशी होती।

इस महती सभा ने लंबित पड़े भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, आर्थिक अपराधियों, जो हमारे संसाधनों को धोखाधड़ी से हड़प लेते हैं और देश छोड़कर भाग जाते हैं, को पकड़ने में समर्थ बनाने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक पारित करके भ्रष्टाचार को रोकने में अपनी प्रतिबद्धता भी दिखायी है। कुछ अन्य विधेयक भी पारित किये गये हैं जिनमें आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी बाधाओं को सुगम बनाने से संबंधित मुद्दों का समाधान करने की मांग रखी गयी थी।

संक्षेप में, यह महती सभा इस सत्र के दौरान सामाजिक आर्थिक न्याय के कुछ मुद्दों का समाधान कर सकी जो कि संसद का अधिदेश और इसका पवित्र कर्तव्य है। इस सत्र ने यह साबित कर दिया है कि कार्य निष्पादन करने वाली संसद अपना अधिदेश पूरा कर सकती है और हमें भविष्य में भी इस सिद्धान्त को हमेशा याद रखना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए।

माननीय सदस्यों, यह जानना प्रासंगिक है कि यह सत्र पिछले सत्रों से भिन्न कैसे साबित हुआ। पिछले दो सत्रों के दौरान उत्पन्न हुई स्थिति से गंभीर रूप से आहत होकर मैंने सोचा कि यह आवश्यक होगा कि विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक की जाय और इस सत्र के शुरू होने के एक दिन पहले मैंने ऐसा किया। उस बैठक में मुझे मानसून सत्र की उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता और इच्छा स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ी। एक संदेश दे दिया गया था, "अब बहुत हो चुका है। दो सत्र बर्बाद हो चुके हैं और सांसदों और संसद को इससे काफी धक्का पहुँचा है और इस सत्र में इसको दोहराया नहीं जाना चाहिए।

" मैं इस भावना से बहुत आश्वस्त हुआ और परिणाम के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित था। मुझे खुशी है कि इस इच्छा और चिंता की परिणति सकारात्मक परिणाम के रूप में हुई है। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से विपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आज़ाद को बार-बार संसद के कार्य ठप होने के बारे में जनता की बढ़ती हुई चिंता पर प्रभावी वक्तव्य देने के लिए बधाई देता हूँ।

हालांकि इस सत्र में 74 प्रतिशत से अधिक कार्य होना राहत भरी बात है परन्तु हमें 26 प्रतिशत की कमी को भी ध्यान में रखना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि मैं प्रसन्न नहीं हूँ। जैसा कि दिख रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि अनुभव करने के साथ-साथ यह कमी भी पूरी कर ली जायेगी। मैं एक बार फिर से सभा के सभी पक्षों के सदस्यों को इस आमूल चूल सुधार के लिए बधाई देता हूँ। इस अवसर पर मैं अपने बारे में कुछ बताना आवश्यक समझता हूँ। इस अवसर पर मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि विभिन्न दलों के नेताओं के साथ मेरी रोज मर्रा की बैठकों के दौरान कुछ नेताओं ने कहा कि सभा में कुछ होने या न होने के बारे में मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे स्वास्थ्य के प्रति चिंता के कारण कुछ नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से मुझे गंभीर न रहने और किसी बात को व्यक्तिगत रूप से न लेने की सलाह दी। शायद उनका आशय यह था कि व्यवधान, संसदीय प्रजातंत्र और रणनीति का एक भाग है। मेरे स्वास्थ्य के प्रति चिंता करने के लिए मैं उन सभी नेताओं का आभारी हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि वे संसद और देश के स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा चिंतित रहें। मेरी समस्या यह है कि जो भी सभा के भीतर घटित होता है उसे मैं पूर्वानुभव के रूप में नहीं लेता हूँ जिसका अर्थ यह है कि यह नया नहीं है और यह पहले भी होता रहा है, भले ही यह सच हो, मैं जानता हूँ कि संसद, कुछ हद तक एक राजनैतिक संस्था है जिसमें बहुधा सदस्यों के बीच नोक-झोंक और उनके आवेश में आने की स्थिति आती रहती है। परन्तु यह पैटर्न नहीं बनना चाहिए। व्यवधान का पैटर्न एक गंभीर चिंता का मुद्दा है और मुझे खुशी है कि इस बार इसमें काफी परिवर्तन आया है। मुझे आशा है कि इसमें और सुधार आयेगा और बना रहेगा। मैं जोर देना चाहूँगा कि हमारी संसद एक संवैधानिक संस्था है। हमें सौंपा गया दायित्व राजनैतिक विचार, यदि कोई हो, से ऊपर होना चाहिए। संसद की कार्यप्रणाली को वर्ष में 3 बार केवल बैठकों के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए, चाहे उसके परिणाम कोई भी हों। जैसा कि

सुबह विपक्ष के नेता ने कहा था कि प्रत्येक सत्र की बैठक, मैं भी आशा करता हूँ, अधिक दिनों के लिए होना चाहिए। यह तभी संभव है कि उपलब्ध सत्रों का हम रचनात्मक तरीके से उपयोग करें और तब सत्र को और अधिक समय के लिए बढ़ाये जाने हेतु मैं सरकार के साथ मामला उठा सकता हूँ। मेरा भावनात्मक लगाव इसलिए है कि सर्वोच्च विधान कार्य 130 करोड़ भारतीयों के भविष्य और भाग्य से जुड़ा हुआ है। संक्षेप में यही सार है। माननीय सदस्यों, संसद कभी-कभी नियत के समय से अधिक देर तक बैठती है। इसका अर्थ है कि हम सबको इसके बारे में चिंता है। आज भी हम देर तक बैठ रहें हैं। कारण यह है कि हम सब इस बात से चिंतित हैं कि जो समय की हानि हुई है उसको पूरा किया जा सके। मैं पारित किये गये विधेयकों की संख्या, समय की हानि, फायदे आदि के बारे में सांख्यिकीय सार, यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है, देने के अलावा बहुत आगे जाना चाहता हूँ। मेरे विचार में संसद का कोई भी सत्र हमारा संविधान और कार्य के समय में हमारी राजनीति है। प्रत्येक सत्र की समाप्ति पर हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हम इन दोनों कार्यों को मिलाकर कर रहे हैं या अलग-अलग कर रहे हैं। हमें अंतर को कम करके इन दोनों का मिलान सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि इस मानसून सत्र में अधिकतम मिलान करने की सबकी इच्छा को दर्शाया है और परिणाम हम सबके सामने है। माननीय सदस्यों, चूँकि हम सत्र की समाप्ति पर हैं, मैं सार्वजनिक उपभोग के लिए सांख्यिकीय सार प्रस्तुत करता हूँ। किए गए कार्य के पैमाने के रूप में इस महती सभा ने शीतकालीन सत्र के 53 प्रतिशत कार्य, तथा इस वर्ष बज़ट सत्र के दौरान 25 प्रतिशत कार्य की तुलना में 74 प्रतिशत से अधिक कार्य किया है। इस सत्र के दौरान व्यवधान के कारण 27 घंटे और 42 मिनट समय की हानि की तुलना में यह सभा 4 दिन निर्धारित समय से अधिक समय के लिए बैठी है जिससे लगभग 3 घंटे अधिक मिले। 5 लंबित विधेयकों समेत 14 विधेयक पारित किये गये हैं जबकि पिछले 2 सत्रों के दौरान केवल 10 विधेयक पारित किये जा सके थे। कुल 17 बैठकों में से 5 दिनों तक किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं था। उन दिनों मैं बहुत प्रसन्न था। पिछले 2 सत्रों के दौरान 3 दिनों में केवल 7 ऐसे व्यवधान हुए थे। इस सत्र के दौरान 12 दिन का प्रश्नकाल हुआ जबकि पिछले 2 सत्रों के दौरान इनकी संख्या कुल 8 थी। पिछले 2 सत्रों के दौरान कुल 51

मौखिक प्रश्नों की तुलना में इस सत्र में कुल 91 मौखिक प्रश्न पूछे गये। सदस्यों ने रिकार्ड 120 शून्य काल प्रस्तुत किये जबकि पिछले 2 सत्रों के दौरान इनकी संख्या कुल 67 थी तथा 61 विशेष उल्लेख किये गये थे जबकि पिछले 2 सत्रों में इनकी कुल संख्या 68 थी। 27 घंटों का कुल समय विधेयकों पर चर्चा करने पर खर्च हुआ जो कि कुल समय का 38 प्रतिशत है। प्रत्येक विधेयक पर चर्चा के लिए यह समय 2 घण्टे से अधिक बैठता है।

विभिन्न समितियों द्वारा कुल 146 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये थे। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मुद्दे और उसे रोकने की आवश्यकता के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की गयी थी। आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर अल्प कालीन चर्चा की गयी थी और असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मुद्दे पर भी विशेष चर्चा की गयी थी। हमें इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर विभिन्न घटकों जैसे शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्प कालीन चर्चा, विधेयकों पर चर्चा, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों/संकल्पों समेत विशेष उल्लेख आदि के अंतर्गत कुल 496 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मुझे खेद है कि हम कृषि पर चर्चा नहीं कर सके जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम अर्थव्यवस्था की हालत पर भी चर्चा नही कर सके जिसकी मैंने अनुमति दी थी। इन दो प्रस्तावों पर हम कई कारणों से चर्चा नहीं कर सके। वे कारण आप सबको ज्ञात हैं।

मुझे इस सत्र के कुछ विशेष पहलुओं को भी आपसे साझा करने में प्रसन्नता होगी। इस सत्र के दौरान एक दिन में ही 12 मौखिक प्रश्न, मौखिक उत्तरों के लिए पूछे गये थे। इसका अर्थ है कि यदि आप सब सहयोग करें तो हम बेहतर कार्य कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को ऑनलाइन करने अर्थात ई-सूचना की शुरूआत की गयी है। इस सत्र के दौरान 22 सदस्यों से कुल 102 ई-सूचनाएँ प्राप्त हुईं। श्री राम विचार नेतम को शून्य काल/प्रश्नों की सूचना ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सबसे पहला सदस्य होने की विशेष ख्याति प्राप्त हुई है।

पहली बार सदस्य बनी श्रीमती कहकशां परवीन ने प्रश्नकाल की अध्यक्षता की, उन्होंने पहली बार ऐसा किया और प्रश्न काल में 7 मिनट के भीतर

उन्होंने एक मंत्री से मुद्दे की बात तक सीमित रहने को कहा। सदस्यों को बोलने का मौका मिले जिसके लिए सामान्यतः एक अनुभवी व्यक्ति भी ऐसा करने में संकोच करता है। कभी-कभी पीठ भी किसी मंत्री को रोकने में संकोच करती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरा अनुसरण किया है। मैं इस बात से प्रसन्न हूँ।

युगपत भाषांतरण सेवा पांच और अधिक भाषाओं अर्थात् डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली और सिंधी भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है जिससे अब यह सेवा सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ।

पहली बार इस महती सभा की ओर से द्विपक्षीय आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए रवांडा की सीनेट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। पहले इस पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जाते थे। परंतु इस बार हमने यह पहल की है कि राज्य सभा भी अन्य देशों के साथ प्रत्यक्ष रूप से समझौता ज्ञापन कर सकती है।

विपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आज़ाद और पूर्व उपसभापति डा. नजमा ए. हेपतुल्ला ने उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्राप्त किया और श्री हरिवंश को इस सभा का उपसभापति निर्वाचित किया गया।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि नये सदस्यों के लाभ के लिए सचिवालय द्वारा आयोजित किया गया दो दिन का विषय-बोध कार्यक्रम काफी अच्छा रहा। मैं उपस्थिति के बारे में सशंकित था परन्तु जब मैंने उद्घाटन समारोह में भाग लिया तो मुझे काफी प्रसन्नता हुई। कई नये सदस्यों ने भाग लिया और इन दो दिनों के विषय-बोध कार्यक्रम में काफी रुचि दिखायी। उन सभी ने इसका आनंद उठाया। मुझे वहाँ एक मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी भी पूरे दो दिनों के कार्यक्रम में बैठे हुए दिखाई पड़े जिन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। साधारणत: यदि कोई मंत्री बन जाता है तो वह समझता है कि उसे पूरा ज्ञान प्राप्त है किन्तु यह मंत्री कार्यक्रम में दो दिनों के लिए उपस्थित थे और कौतूहल से कार्यवाही को देख रहे थे। लगभग 35 नये सदस्यों ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया।

मैं सरकार, विपक्ष के नेता, विभिन्न दल के नेताओं और सभी सदस्यों को इस सत्र के दौरान नई ऊचाईयों तक पहुँचने के लिए बधाई देता हूँ। मैं

महासचिव और उनकी टीम को भी उनके कठोर परिश्रम के लिए बधाई देता हूँ। मैं मीडिया को भी सभा की कार्यवाही में लगातार रुचि लेने के लिए धन्यवाद देता हूँ। फिर भी मैं प्रसन्न नहीं हूँ क्योंकि मीडिया से उम्मीद की जाती है वह इस महती सभा अर्थात उच्च सदन, जो कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करती है, को और अधिक कवरेज प्रदान करे।

यह मानसून सत्र मानसून के मौसम की तरह अच्छा रहा है।

हम अपने मस्तिष्क में इन सुखद यादों के साथ शीतकालीन सत्र की तैयारी करें तब तक माननीय सदस्यों मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभापति तथा भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में मेरा एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ।